कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

अष्टम प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 25.06.2018 को प्रातः 11:30 बजे, सभागार, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में प्रबंध मंडल की सप्तम बैठक डॉ जी॰ एल॰ केशवा माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

क्र. स.	सदस्य नाम	
1.	डॉ. जी. एल. केशवा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ॰ रीता गुलाटी, प्राचार्य, राजकीय जानकी देवी कन्या महाविद्यालय, कोटा (अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
3.	डॉ. राम गोप मीणा, अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन, कोटा। (प्रमुख शासन सचिव पशुपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रतिनिधी)	पदेन सदस्य
4.	डॉ॰ नारायण लाल गुप्ता, शिक्षाविद्, राज्य सरकार द्वारा नामित।	सदस्य
5.	डॉ आई॰ बी॰ मोर्या, अधिष्ठाता, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
6.	डॉ के. एन. ओझा, निदेशक मानव संसाधन विकास, कृ॰वि॰, कोटा।	सदस्य
7.	डॉ एस. के. जैन, प्रोफेसर (पी॰एच॰टी॰), उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, झालावाड	सदस्य
8.	डॉ॰ विधि शर्मा, वित्त नियत्रंक	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सियाराम मीणा, कुलसचिव	पदेन सचिव

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर या उनके प्रतिनिधि; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य डॉ॰ के॰ के॰ सिंह, सहायक महानिदेशक; श्री हीरालाल नागर, विधायक, सांगोद; अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त या उनके प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य प्रो॰ मदन सिंह राठौड़ उपस्थित नहीं हो सकें।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

बोम–08 / 2018 / 01:	**सप्तम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 25.04.2018 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।**

प्रबन्ध मण्डल की सप्तम बैठक दिनांक 25.04.2018 को आयोजित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण (**पृष्ठ संख्या 01 से 13**) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।**

बोम–08 / 2018 / 02:	**सप्तम प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 25.04.2018 की कार्यवाही विवरण पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट।**

प्रबन्ध मण्डल की सप्तम बैठक दिनांक 25.04.2018 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट (**पृष्ठ संख्या 14 से 102**) अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

निर्णयः **कार्यवाही रिपोर्ट का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**

बोम–08 / 2018 / 03:	**दशम् विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.06.2018 की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत।**

दशम् विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण (**पृष्ठ संख्या 103 से 110**) सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, विद्या परिषद में पारित किये गये मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:

1. विश्वविद्यालय में कृषि संकाय एवं विभागों का गठन।
2. विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों एवं विषय विशेषज्ञों के Ph.D प्रवेश के लिये नियम व मानदंडों का निर्धारण।
3. विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के लिये बोर्ड आफ स्टेडीज का गठन।
4. कृषि में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति उपाधियों का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार नामकरण।
5. कृषि महाविद्यालय, कोटा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति के लिये

विषयवार पाठ्यक्रम का निर्धारण, सेमेस्टरों के अनुसार विषय वितरण एवं अन्य विनियमों का निर्धारण।

6. कृषि महाविद्यालय, कोटा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पेमेण्ट सीटों का निर्धारण।
7. नव सृजित कृषि महाविद्यालय, कोटा के लिये स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्यावाचस्पति के लिये फीस एवं उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय के फीस संशोधन का निर्धारण।
8. ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अन्तर्गत स्वीकृत तकनीकी अधिकारी/ विषय विशेज्ञय (मौसम विज्ञान) की योग्यता, अर्हता एवं स्कोर कार्ड का अनुमोदन, एग्रोमेट आब्र्ज्वर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर के चयन क लिये योग्यतायें, अर्हतायें, परीक्षा नियम, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण एवं वाहन चालक के चयन के मानदंड आदि का निर्धारण।
9. उद्यानिकी एवं वानिकी संकाय के बोर्ड ऑफ स्टेडीज की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन, जिसमें वानिकी के स्नातकोत्तर के नये पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों के प्रवेश के नियम एवं योग्यतायें, कोर्ष कमेटियों एवं बोर्ड ऑफ स्टेडीज का गठन आदि।

निर्णयः **विद्यापरिषद की कार्यवाही विवरण का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**

कार्यवाहीः **विद्या परिषद की कार्यवाही विवरण में दर्शाये गये सम्बन्धित अधिकारी।**

बोम–08/2018/04: चतुर्थ वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने बाबत।

चतुर्थ वित्त समिति की बैठक विश्वविद्यालय के सभागार में दिनांक 08.06.2018 को आयोजित की गई। जिसमें विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2017–18 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2018–19, अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया, जिसका कार्यवाही विवरण **(पृष्ठ संख्या 111 से 113)** पर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान एवं अनुमानित खर्च क्रमशः 51.53 करोड एवं 48.33 करोड प्रस्तावित किये गये। साथ

ही कर्मचारी दुर्घटना बीमा एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि कटौती पर ब्याज दर निर्धारण का भी अनुमोदन किया गया।

निर्णयः कार्यवाही रिपोर्ट का अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

कार्यवाहीः वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

बोम–08/2018/05: शैक्षणिक पदों को भरने के लिये विज्ञापन, योग्यतायें एवं आर्हतायें, स्कोर कार्ड, निर्देशों/नियमों आदि का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के कुल 28 पदों का सृजन किया है। राज्य सरकार ने पूर्व में भी कुछ पदों को भरने की सहमति प्रदान की थी जिनमें से विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक के 53 पद भर दिये है अब शैक्षणिक एवं अधिकारियों के 26 पदों को भरना प्रस्तावित है। इन पदों को भरने के लिये विज्ञापन, योग्यतायें, आर्हतायें, स्कोर कार्ड व अन्य निर्देश/नियम आदि **पृष्ठ संख्या 114 से 133** पर उपलब्ध है, यदि इनमें आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी तो विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कर ली जायेगी। प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः श्री नारायण लाल गुप्ता, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य ने **Computer Science Enginering** के पद की योग्यतायें यू.जी.सी. के अनुसार रखने के लिये कहा लेकिन सभी अन्य सदस्यों ने इस पद की योग्यता **AICTE** के अनुरूप जो कि विद्यापरिषद ने पूर्व में ही अनुमोदित कर रखा है, का निर्णय लिया। माननीय सदस्यों ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। साथ ही राज्य सरकार को कुछ और रिक्त पदों को भरने के लिये प्रस्ताव भेज रखे है उनको भरने की अनुमति मिलने के उपरान्त विश्वविद्यालय इन पदों को भी नियमानुसार भरने की प्रक्रिया चालू करे।

कार्यवाहीः कुलसचिव/ निदेशक मानव संसाधन विकास, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

बोम–08 / 2018 / 06: **अशैक्षणिक पदों को भरने के लियें विज्ञापन, योग्यतायें एवं अर्हतायें, परीक्षा योंजना, पाठ्यक्रम, निर्देशों / नियमों आदि का अनुमोदन।**

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा में 38 अशैक्षणिक पदों को भरने की राज्य सरकार से स्वीकृति मिली है जिनमें क्लर्क ग्रेड–द्वितीय (17 पद), स्टेनोग्राफर (11 पद), प्रयोगशाला उपस्थक (05 षद), एग्रोमेट आब्जर्वर (03 पद), इलेक्ट्रीशियन (01 पद), पम्प ऑपरेटर / फीटर (01 पद) है इन पदों को भरने के लिये विज्ञापन, योग्यतायें, अर्हतायें, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम निर्देश आदि **पृष्ठ संख्या 134 से 160** पर उपलब्ध है, यदि इनमें आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होगी तो विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कर ली जायेगी। प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **माननीय सदस्यों ने अवलोकन कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।**

कार्यवाहीः **कुलसचिव / निदेशक मानव संसाधन विकास, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।**

बोम–08 / 2018 / आर –01 **विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये आदेशो (रिर्पोटिंग आइटम) का अवलोकन।**

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जारी किये गये अर्द्ध–शासकीय एवं आदेशों का विवरण निम्न प्रकार हैः

1. क्रमांक 2053–57 दिनांक 26.05.2018 **(पृष्ठ संख्या 161)**
2. क्रमांक 2515–19 दिनांक 02.06.2018 **(पृष्ठ संख्या 162)**
3. विद्या परिषद में प्रस्तुत संलग्नक **(पृष्ठ संख्या 163 से 211)**

उपरोक्त आदेश सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गयेहै।

निर्णयः **जारी किये गये आदेशों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।**

बोम–08 / 2018 / विशिष्ट–01 अन्य महत्वपूर्ण कार्यसूची अध्यक्ष की अनुमति से।

माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार की प्री–लिटीगेशन समिति के निर्णयानुसार शेष सात सहायक प्राध्यापकों को सी॰ए॰एस॰ परिलाभ पात्रता तिथि (Due date) से देने बाबत।

माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार की प्री–लिटीगेशन समिति के निर्णयानुसार एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के आदेशानुसार इस विश्वविद्यालय के 25 सहायक प्राध्यापकों को सी.ए.एस. परिलाभ पात्रता दिवस से दिया गया। इनके अनुरूप ही बचे हुये सात सहायक प्राध्यापको को भी सी.ए.एस. परिलाभ पात्रता तिथि (Due date) से देने के लिये सभी दस्तावेजों के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः **इसके बारें में माननीय सदस्यों की राय थी कि राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय अपनें स्तर पर परिलाभ देवें एंव आगामी बैठक में रिपोर्ट करें।**

कार्यवाहीः कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।

25/6/18 — 25.6.18

कुलसचिव — कुलपति